वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 52/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-अहरौला: थाना अहरौला की कुल 03 घटनाओं का सफल अनावरण, अभियुक्त के कब्जे से लगभग 7000 रूपयें के कुल एक जोड़ी पायल , मोटरपम्प, पंखा आदि सामान के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

1. दिनांक 16.04.2024 को दिनेश विंध्याचल चौबे ग्राम – चकरजई पोस्ट- विनोवापुरी थाना - अहरौला जनपद- आजमगढ़ मो0नं09324788417 उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित बदस्खतीय खुद का बताते हुए बाबत प्रार्थी अपने पूरे परिवार के साथ ढ़ाई साल से मुम्बई रहता हैं प्रार्थी जब दिनांक 02.04.2024 को सुबह करीब 6.00 जब घर आया तो घर मे जाकर देखा कि चोर द्वारा आंगन के रास्ते से घर में घुसकर घर के अन्दर से घर में लगा सारा बल्ब, होल्डर , पानी का मोटर , दो ऊपर वाला पंखा , 15 मोटर इलेक्ट्रिक केबल वायर तथा मेरी माता जी का बक्सा तोड़कर उसमें रखा एक सोने का चैन व एक जोड़ी चाँदी का पायल तथा जमीन से जुड़े तथा अन्य सभी जरूरी कागजात तथा बैंक पेपर और बैंक लाकर की चाभी , मोटर साइकिल की चाभी व पेपर चोर आंगन के रास्ते से घर के अन्दर घुसकर चुरा ले जाने के सम्बंध में दाखिल की -कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा मु0अ0सं0 156/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विश्राम गुप्ता द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना के क्रम मे।
2. दिनांक 22.01.2025 को आवेदक श्री माता प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीराम ग्राम हांसापुर खुर्द थाना – अहरौला जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9889898761 उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0पत्र हिन्दी लिखित बदस्तखती खुद का बताते हुए बावत अज्ञात चोर ने गिमटी के खिड़की तोड़कर उसमे रखा टाफी, विस्कुट, कुरकुरे पुकार आदि सामानो को चुरा करके गिमटी को धकेल देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर कम्प्यूटर पर चिक दस्तन्दाजी किता करके कायमी मु0अ0सं0 026/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस दिनांक घटना 20/21.01.2025 समय करीब अ0त0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना के क्रम मे।
3. दिनांक 21.12.2024 को आवेदक सैय्यद अब्बास रजा पुत्र सैय्यद मोहम्मद कैश नि0 माहुल थाना अहरौला आजमगढ द्वारा ई-एफआईआर दर्ज कराई गयी थी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के भाई के मकान से ढाई लाख का सामान चोरी हो गया है। जिसके आधार पर मु0अ0स0 528/2024 धारा 305 (ए) BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रंजन कुमार साव द्वारा सम्पादित की जा रही है।विवेचना के क्रम मे।

➡ दिनांक 08.02.2025 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह के कुल 03 मुकदमों का अनावरण करते हुए चोरी गये सामान एक जोड़ी पायल , 7 पीस एलईडी बल्व , 5 पीस होल्डर , दो उपर वाला पंखा का सेट , एक पानी का मोटर टूलूपम्प , 2 पैकेट टाफी , 2 पैकेट विस्कुट , एक पैकेट पुकार पान मसाला , 15 पीस कुरकुरे का पैकेट , एक कम्बल रंग भूरा , एक छोटा गैस स्टोप , 6 अदद कप , 6 अदद प्लेट कोरकरी के साथ 01 शातिर अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को मंगारीपुर पुलिया से- दिनांक 08.02.2025 समय 23.50 बजे बजे गिरफ्तार किया गया। । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0न्यायालय किया गया ।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक जोड़ी पायल , 7 पीस एलईडी बल्व , 5 पीस होल्डर , दो उपर वाला पंखा का सेट , एक पानी का मोटर टूलूपम्प सम्बन्धित मु0अ0स0 156/24 धारा 457/380 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि से सम्बन्धित है ।
2. एक कम्बल रंग भूरा , एक छोटा गैस स्टोप , 6 अदद कप , 6 अदद प्लेट कोरकरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0स0 528/2024 धारा 305ए बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित है।
3. 2 पैकेट टाफी , 2 पैकेट विस्कुट , एक पैकेट पुकार पान मसाला , 15 पीस कुरकुरे का पैकेट के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 26/2025 धारा 305ए/331(4) बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

02.थाना बिलरियागंजः जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 09.02.2025 को एसओ सुनील कुमार दूबे मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम बगवार का रहने वाला जिला बदर अपराधी तथा वारण्टी लालचन्द यादव पुत्र किरोधन यादव सा0 बगवार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ जो जिला बदर होने के बाद भी गाँव घर में लुक छिप कर रहता है और वर्तमान समय में ग्राम बगवार नहर पुलिया पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौकें पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम लालचन्द यादव पुत्र किरोधन यादव सा0 बगवार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति लालचन्द यादव को मा0 न्यायालय एस.सी./एस.टी. कोर्ट आजमगढ़ द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारण्ट सेसन केस 145/25 स्टेट वनाम संदीप यादव धारा 147/148/323/504/506/325 भादवि. व 3(2)5(क) एस.सी./एस.टी. एक्ट. थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ता0पे0 25/04/2025 दिखाते हुए, श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूराजस्व) के आदेश दिनांक 28.10.2024 न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी मण्डल आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ वाद सं0 2951/23 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202315060002951के अनुसार अन्तर्गत धारा 3 (1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के तहत जिला बदर 06 माह हेतु किया गया है आदेश की तामीला होने के बावजूद गाँव घर में रहने के बाबत पूछने पर गलती की माफी मांगने लगा। अभियुक्त लालचन्द यादव पुत्र किरोधन यादव उपरोक्त का कृत्य अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तरी बताकर उपरोक्त लालचन्द यादव पुत्र किरोधन यादव को बजाफ्ता बकायदा अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम के समय 12.10 बजे बगावर नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना- कोतवालीः दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी मिठाईलाल राजभर पुत्र स्व मूरत राजभर निवासी ग्राम कोलहटा कमाल, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी पुत्री सीमा राजभर की शादी लगभग डेढ़ साल पूर्व अजय राजभर पुत्र तिराजल राजभर निवासी गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज, जिला आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति रिवाज से कोर्ट मैरिज हुई थी। प्रार्थी की पुत्री सीमा लगभग एक साल से आजमगढ़ शहर में अपने पति अजय के साथ रहकर जीवन यापन करती थी और लगभग चार माह की गर्भवती थी। प्रार्थी की पुत्री सीमा को दहेज को लेकर पति अजय राजभर, ससुर तिरांजल राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को लेकर काफी प्रताडित करते थे मारते पीटते और जान मारने की धमकी देते थे। घटना दि 29.11.2024 को समय करीब 8.00 बजे सुबह प्रार्थी को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ से सुबह लगभग 8.00 बजे फोन आया कि तुम्हारी पुत्री सीमा की मौत हो गयी है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री सीमा को पति अजय राजभर, ससुर तिरांजल राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को लेकर मार डाले हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 641/24 धारा (2),85, 351(3) बीएनएस व 3 /4 डीपी एक्ट दि. 29.11.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 09.2.25 को नि0रफी आलम म0उ0नि0 स्मिता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्ता सावित्री देवी पत्नी तिराजल राजभर निवासी गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष को समय 6.35 बजे अभियुक्ता के घर ग्राम गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.थाना सरायमीर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2025 को उ0नि0 अभिषेक सिंह, हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान इसरौली मोड के पास एक व्यक्ति धर्मबीर उर्फ नखड़ू सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर सा0 पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 39/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0 मु0अ0सं धारा	थाना	जनपद
1. 282/23 3/25 शस्त्र अधि0	दीदारगंज	आजमगढ़
2. 40/19 8/20 NDPS ACT	सरायमीर	आजमगढ़
3. 54/18 3/25 शस्त्र अधि0	सरायमीर	आजमगढ़
4. 55/18 8/22 NDPS ACT	सरायमीर	आजमगढ़
5. 83/21 41/411 भा0द0वि0	सरायमीर	आजमगढ़
6. 84/21 3/25 शस्त्र अधि0	सरायमीर	आजमगढ़
7. 137/20 3/25 शस्त्र अधि0	सरायमीर	आजमगढ़
8. 179/22 8/21 NDPS ACT	सरायमीर	आजमगढ़
9. 235/19 307 भा0द0वि0	सरायमीर	आजमगढ़
10. 39/25 3/25 शस्त्र अधि0	सरायमीर	आजमगढ़

05.थाना बिलरियागंजः पुलिस ने साइबर फ्राड के 76,200/- रुपये आवेदक को कराये रिफण्ड

घटना का विवरण- आवेदक मो0 मोवसीर खान पुत्र मो0 आरिफ निवासी भावारायपुर पट्टीटंडन राय थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का मोबाईल हैक करके फोन पे के माध्यम से 76,200/- रुपया साईबर फ्राड हो गया। आवेदक द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रा0पत्र दिया गया। प्रा0पत्र के आधार पर कार्यवाही शुरु किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक मो0 मोवसीर उपरोक्त के प्रा0पत्र के आधार पर साईबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 व cybercrime.gov.in पर शिकायत किया गया। तत्पश्चात् थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा क0आ0 अमित गुप्ता को उपरोक्त फ्राड का पैसा वापस कराने हेतु नामित किया गया। क0आ0 अमित गुप्ता द्वारा आवेदक के खाता का विवरण प्राप्त कर देखा गया तो साईबर फ्राडर द्वारा आवेदक के मोबाईल नम्बर का ओटीपी प्राप्त कर फोन पे से विभिन्न विभिन्न 18 बैंक खातो में 76,200/- रुपया ट्रासफर कर लिया गया। सभी बैंक एकाउन्ट को तत्काल कार्यवाही करते हुये फ्रीज कराया गया। बैंक एकाउन्ट में फ्राड हुये आवेदक के कुल 76,200/- रुपया अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये आवेदक के खाते मे वापस कराया गया। आवेदक पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1-सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़

2-क0आ0 अमित कुमार गुप्ता (साईबर क्राईम सेल) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

06.थाना- कोतवाली: अन्तर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक- 10.12.2024 को थाना-कोतवाली पर अन्तर्राज्यीय बाईक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश किया गया था जिसमें कुल 12 घटनाओं के सफल अनावरण में 08 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 अदद चोरी की मोटर साइकिल , 02 अदद अवैध तमन्चा व कारतूस तथा कुल 118 अदद अन्य मोटर साइकिल पार्ट्स (कुल कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) बरामद हुआ था। जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 654/24 धारा 303(2), 317(2)(4),317(5),338,336(3), 340(2), 112(2) बीएनएस दि. 10.12.24 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 08.02.2025 को उ0नि0 सूर्यपाल , उ0नि0 मेहरे आलम, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त राज शर्मा उर्फ राज विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी सुन्दरसराय बल्लो बक्शपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दिनांक 8.2.25 को समय 8.46 बजे अभियुक्त के घर ग्राम बक्शपुर थाना जीयनपुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 654/24 धारा 303(2), 317(2)(4),317(5),338,336(3), 340(2), 112(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 228/24 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 337/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 443/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 462/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 528/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

7.मु0अ0सं0 555/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़